FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0316   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 27/11/2025 15:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 19/11/2025   Date To (दिनांक तक): 24/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 10:30 बजे   Time To (समय तक): 14:20 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/11/2025   Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 27/11/2025 15:33:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 55 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): TEHASIL KARALYA BARNALA, JILA SAWAIMADHOPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SANDEEP SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): GOVIND SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BADH NANANWAS, BARNALA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BADH NANANWAS, BARNALA, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LAXMAN PARSAD GUPTA		पिता:MANOHAR LAL GUPTA	1. GRAM POST TAL CHIDI,MAHUWA,MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA
2	KULDEEP SINGH		पिता:RAMSINGH	1. KHIDARPUR,SAPOTRA,SAPOTRA,KARAULI,RAJASTHAN,INDI

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	18,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 18,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर। विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि में सन्दीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह ग्राम वाढ नाननवास जिला स0मा0 का रहने वाला हॅू। हमारे ग्राम नाननवास में हमारी कुल 16 बीघा लगभग कृषि भुमि है। उक्त कृषि भूमि में से 8 बीघा करीबन मेरे पिताजी गोविन्द सिंह ने मेरे भाई कुलदीप सिंह के नाम पूर्व में करा दी है तथा शेष 8 बीघा करीबन को मेरे पिताजी मेरी धर्मपत्नि गरिमा सिंह जादौन के नाम करवाना चाहते है। उक्त कृषि की गिफ्ट डीड के कागज E-MITRA सीताराम गुप्ता जी से तैयार करवाकर मैं तहसील कार्यालय वरनाला पहुंचा जहां पर तहसीलदार श्री लक्ष्मण गुप्ता जी से मिला तो उन्होने मुझे उनके कार्यालय के कार्मिक श्री कुलदीप बाबू ने मुझ से रजिस्ट्री के कागज लेकर तहसीलदार कक्ष में गए कुछ समय बाद आकर मुझे उक्त जमीन की रजिस्ट्री का कुल खर्चा 28,500/- रूपये जिसमें से 10,000/- करीबन चालान के बताया तथा शेष राशि 18,500/- रू बताते हुए कहा कि यह पैसा तहसीलदार साहब रिश्वत के मांग रहे है। में तहसील के अधिकारी/कर्मचारी को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत राशि नही देना चाहता बल्की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी व बकाया लेन-देन नही है। में यह कार्यवाही बिना किसी दवाब के करवा रहा हॅू। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- सन्दीप सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम वाढ नाननवास तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर हाल पुलिस लाईन सवाई माधोपुर मो.नं. [redacted] दिनांक- 19.11.25 हस्ता. ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सवाई माधोपुर दिनांक 19.11.2025, ह0 स्वतंत्र गवाह-रतनलाल व सादिक मोहम्मद दिनांक 24.11.2025,

कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर 1064 पर शिकायतकर्ता परिवादी श्री सन्दीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह ग्राम वाढ नाननवास जिला सवाई माधोपुर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी से सम्पर्क उपरान्त दिनांक 19.11.2025 को समय 10.30 ए.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर के बनाम से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष की। परिवादी की उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि- में सन्दीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह ग्राम वाढ नाननवास जिला स0मा0 का रहने वाला हॅू। हमारे ग्राम नाननवास में हमारी कुल 16 बीघा लगभग कृषि भुमि है। उक्त कृषि भूमि में से 8 बीघा करीबन मेरे पिताजी गोविन्द सिंह ने मेरे भाई कुलदीप सिंह के नाम पूर्व में करा दी है तथा शेष 8 बीघा करीबन को मेरे पिताजी मेरी धर्मपत्नि गरिमा सिंह जादौन के नाम करवाना चाहते है। उक्त कृषि की गिफ्ट डीड के कागज E-MITRA सीताराम गुप्ता जी से तैयार करवाकर मैं तहसील कार्यालय वरनाला पहुंचा जहां पर तहसीलदार श्री लक्ष्मण गुप्ता जी से मिला तो उन्होने मुझे उनके कार्यालय के कार्मिक श्री कुलदीप बाबू ने मुझ से रजिस्ट्री के कागज लेकर तहसीलदार कक्ष में गए कुछ समय बाद आकर मुझे उक्त जमीन की रजिस्ट्री का कुल खर्चा 28,500/- रूपये जिसमें से 10,000/- करीबन चालान के बताया तथा शेष राशि 18,500/- रू बताते हुए कहा कि यह पैसा तहसीलदार साहब रिश्वत के मांग रहे है। में तहसील के अधिकारी/कर्मचारी को मेरे जायज काम के लिए रिश्वत राशि नही देना चाहता बल्की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी व बकाया लेन-देन नही है। में यह कार्यवाही बिना किसी दवाब के करवा रहा हॅू। रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी ने मांगने पर अपना ऐड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की, जिन्होंने बाद अवलोकन शामिल पत्रावली नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी सन्दीप सिंह को आरोपीगण से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे घर पर आवश्यक कार्य है और मुझे तहसील बरनाला पहुंचते-पहुंचते रात्रि हो जायेगी। कल दिनांक 20.11.2025 को दिन के समय कुलदीप बाबू तहसील बरनाला से रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हो सकती है। इस पर श्री मनोज कुमार कानि. 133 को तलब कर बुलाकर परिवादी से आपस में

रिचय करवाया एवं आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये, तत्पश्चात कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को निकालकर उसमें नया सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चत कर या वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड में कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चत कर परिवादी एवं श्री मनोज कुमार कानि. को लू व बंद करने की विधि समझाई जाकर परिवादी को उसके कहे अनुसार पाबंद किया कि मनोज कुमार कानि. दिनांक 0.11.2025 को बरनाला में पहुंचकर आपसे सम्पर्क कर लेगा तथा रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आपको यही ईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित आपको सुपुर्द कर देगा। आप संदिग्ध आरोपी के पास जाकर उसके द्वारा मांगी जा रही श्वत राशि के सम्बंध में गोपनीय वार्ता कर उस वार्ता को रिकार्ड करे तथा वार्ता होने के बाद वापस आकर वॉईस रिकार्डर चालू हालत में श्री मनोज कुमार कानि. को सपुर्द करें तथा श्री मनोज कुमार कानि. को वॉईस रिकार्ड मय एसडी कार्ड ले सहित लेकर दिनांक 20.11.2025 को परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी के बताये अनुसार स्थान पर पहुंचकर अग्रिम यापन कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये तथा वॉईस रिकार्डर को एसडी कार्ड सहित वापस कार्यालय आलमारी में रखा गा। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर परिवादी सन्दीप सिंह को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया। इसके श्चात दिनांक 20.11.2025 को परिवादी से हुई वार्तानुसार कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर य नया सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड डले सहित को श्री मनोज कुमार कानि. 133 को कार्यालय के श्री रामकेश नि. 98 व श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी सन्दीप सिंह के थनानुसार गन्तव्य स्थान बरनाला के आस पास पहुचकर पाबन्द शुदा परिवादी सन्दीप सिंह से सम्पर्क कर विभागीय जीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से सका नाम बुलवाकर एवं रिकॉर्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध रोपी कुलदीप बाबू के पास भेजकर रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन संबंधी वार्ता करवाकर बाद सत्यापन भागीय डिजीटल वॉइस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पास उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय करीब 10.20 एएम पर स्वंय की निजी मोटरसाईकिल मे हसील बरनाला रवाना किया गया। तत्पश्चात 04.45 पी.एम पर श्री मनोज कुमार कानि नम्बर-133 उपरोक्त फिकरा का ाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै कार्यालय से जरिये मेरी निजी टरसाईकिल से रवाना होकर परिवादी सन्दीप सिंह से जरिये मोबाईल सम्पर्क करता हुआ समय करीब 12.30 पी.एम. पर हसील बरनाला के पास पहुंचा एवं इसके बाद मैने परिवादी सन्दीप सिंह का इन्तजार किया, जो मेरे पास करीबन 02.30 .एम पर तहसील बरनाला के पास उपस्थित आया। जिसने मुझे बताया कि संदिग्ध आरोपी कुलदीप बाबू तहसील ार्यालय बरनाला पर है, जिस पर मैने एक साईड में अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले हित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं परिवादी से उनका नाम एवं वॉईस रिकार्डर ास करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी सन्दीप सिंह को दिया जिसे परिवादी ने अपने गले में टांगकर र अपनी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय बरनाला के लिये रवाना हो गया मै भी उसके पीछे पीछे अपनी टरसाईकिल से रवाना होकर तहसील कार्यालय बरनाला के पास पहुंचा, जहां पर मैने देखा कि परिवादी तहसील ार्यालय बरनाला अन्दर चला गया तथा मै अपनी मौटरसाईकिल सहित परिवादी पर निगरानी रखते हुये उसके वापस आने इन्तजार करने लगा। इसके कुछ समय बाद परिवादी सन्दीप सिंह व एक अन्य व्यक्ति तहसील कार्यालय से बाहर आकर टरसाईकिल पर बैठकर रवाना हो गये, मै भी उनके उनके पीछे-पीछे रवाना हो गया। इसके बाद परिवादी व अन्य व्यक्ति रनाला कस्बे में एक ई-मित्र की दुकान पर जाकर रूक गये व ई-मित्र की दुकान के अन्दर चले गये। मैं अपनी उपस्थिति पाते हुये ई-मित्र की दुकान के आस-पास ही रूक गया। इसके कुछ समय बाद परिवादी व अन्य व्यक्ति ई-मित्र की दुकान से क्त मोंटरसाईकिल से रवाना हो गये। मैं भी उनके पीछे-पीछे मेरी मोटरसाईकिल से रवाना हो गया। उक्त परिवादी व अन्य क्ति मोटरसाईकिल से रवाना होकर तहसील कार्यालय बरनाला के पास पहुंच गये। मैं भी उनके पीछे-पीछे तहसील ार्यालय के पास पहुंच गया। इसके थोडी देर बाद परिवादी सन्दीप सिंह मेरे पास आया, जहां पर परिवादी ने अपने पास से भागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने लेकर बन्द र अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया, उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति मेरे साथ टरसाईकिल पर बैठकर गया था, वही व्यक्ति कुलदीप बाबू है, जिससे मेरी पत्नि के नाम रजिस्ट्री करवाने बाबत ई-मित्र की कान पर 10,000/- रूपये का चालान कटवा दिया है तथा शेष रिश्वती राशि 18,500/- रूपये कल दिनांक 21.11.2025 ो लेने पर सहमत हो गया है। जिसके बारे में मन कानि0 द्वारा आपको जरिये मोबाईल कॉल अवगत करा दिया था एवं रिवादी से भी वार्ता कराई थी, तो आपके द्वारा मुझ परिवादी सहित शीघ्र ही कार्यालय में आने के निर्देष दिये जिस पर रिवादी ने कहा कि मुझे अपने घर पर आवश्यक कार्य है तथा आरोपी कुलदीप बाबू को दी जाने वाली रिश्वत राशि 18,500 रूपये का इन्तजाम भी करना है, मै राशि का इन्तजाम कर कल दिनांक 21.11.2025 को सुबह आपके कार्यालय में हाजिर जाउंगा, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपसे वार्ता की एवं परिवादी से वार्ता कराई तत्पष्चात आपके निर्देषानुसार परिवादी ो कस्वा बरनाला से रवाना कर मन कानि0 जरिये निजी मोटरसाईकिल रवाना होकर वापस आया हूं। इस पर समय

5.00 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानि. से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित गवाह श्री रामकेश कानि. 98 व प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी व परिवादी का एक साथ ई-मित्र की दुकान पर जाना व 10,000/- रूपये चालान जरिये फोन-पे ई-मित्र पर जमा करवाना व आरोपी कुलदीप बाबू शेष रिश्वति राशि 8,500/- रूपये कल दिनांक 21.11.2025 को लेने पर सहमत होना पाया गया है। डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष की टेबिल की दराज में रखा जाकर टेबिल की दराज को लॉक किया गया। इसके पश्चात श्री रामकेश कानि. 98 को जरिये तहरीर नगर परिषद सवाई माधोपुर रवाना किया जो श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक नगर परिषद सवाई माधोपुर व श्री रतनलाल मीना फायरमैन नगर परिषद सवाई माधोपुर को दिनांक 21.11.2025 को कार्यालय एसीबी सवाई माधोपुर में उपस्थित होने बाबत पाबन्द करा उपस्थित कार्यालय आया। इसके पश्चात दिनांक 21.11.2025 को समय 10.00 ए.एम पर पावन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक नगर परिषद सवाई माधोपुर व श्री रतनलाल मीना नगर परिषद सवाई माधोपुर फायरमेन कार्यालय हाजा में उपस्थित आये, उक्त दोनो गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपना नाम सादिक मोहम्मद पुत्र स्व. श्री अब्दुल खालिक उम्र 45 वर्ष जाति कागजी मुसलमान निवासी बडी मस्जिद के पास कागजी मोहल्ला आलनपुर सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद सवाई माधोपुर मो. नं. [redacted] व रतनलाल मीना पुत्र श्री प्रभाती लाल मीना उम्र 32 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम टिटोली, पोस्ट ...नपुरिया जिला दौसा हाल फायरमैन नगर परिषद सवाई माधोपुर मो.नं [redacted] होना बताया जिन्हे कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री सन्दीप सिंह उपस्थित कार्यालय आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 20.11.2025 को मेरी आपसे जरिये दूरभाष हुई वार्ता अनुसार आपके कार्यालय के मनोज जी से मेरी जरिये मोबाईल वार्ता हो गयी थी। मैने मनोज जी को बरनाला तहसील के आस-पास मिलने के कहा था। मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं मनोज जी के पास करीबन 02.30 पी.एम पर तहसील कार्यालय बरनाला के पास पहुंचा, जहां पर मनोज जी मुझे मिल गये, जहां पर मैने मनोज जी को कुलदीप बाबू तहसील कार्यालय बरनाला पर उपस्थित होने की जानकारी दी, इसके पश्चात मनोज जी ने एक साईड में अपने पाम मे विभागीय डिजीटल वॉईम रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मुझ से मेरा नाम एवं वॉईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दे दिया, जिसे मैने अपने गले में टांगकर कर अपनी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय बरनाला के लिये रवाना हो गया, मनोज जी भी मेरे पीछे-पीछे अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गये। इसके पश्चात मैं तहसील कार्यालय बरनाला के अन्दर चला गया। मनोज जी तहसील कार्यालय के बाहर ही खडे रह गये। मुझे तहसील कार्यालय के अन्दर कुलदीप बाबू मिल गया। कुलदीप बाबू मुझे तहसील कार्यालय के एक साईड में ले गया। उन्होने मुझसे चालान कटवाने के लिये कहा। मैंने कहा आप सीताराम की दुकान पर चलो में वहीं आपको मिलता हू। इसके बाद कुलदीप बाबू मुझे उसकी मोटरसाईकिल पर बिठाकर सीताराम की ई-मित्र की दुकान पर लेकर चला गया। मैने उनसे पूछा कि चालान कितने का कटेगा तो उन्होने कहा की चालान तो आपको पता होगा ना, फिर मैने कहा कि उन्होने तो 9900 कुछ बताया। इसके बाद कुलदीप बाबू ने कहा कि थोडा गेट बन्द कर दो, फिर मैने गेट बन्द कर दिया उन्होने कहा के लाओ, दे दो मैने कहा कि इतना थोडी लाया हुं, पूरा नही लाया कल ले आउंगा बाकी के चालान के लाया हू। मैने कहा कि मेरी मैडम, पापा आएंगे तब। फिर मैने कहा की फोन-पे कर दू सीधा आपको, एटीएम से नही निकले। इसके बाद सीताराम ई-मित्र वाले के लडके बिजेन्द्र ने कहा बीसी वाला निकाल देगा। इसके बाद मैं वहां से बीसी वाले के पास गया तो वहां भी पेमेन्ट नही निकला। इसके बाद मैं सीताराम ई-मित्र की दुकान पर चला गया, मैने उनसे कहा कि वहां भी नही निकले। फिर कुलदीप बाबू ने कहा कर दो चालान 10000/- का ही है ना, फिर बिजेन्द्र ने कहा कि हां, और कहा कि दस हजार पांच सौ इक्यावन तो मेरे ही हुऐ है। इसके बाद मैने चालान के 10,000/- रूपये आंन लाईन कर दिये। फिर इसके बाद मैने कुलदीप बाबू को कहा कि आपके बाकी के साडे अठारह हजार है ना, थोडा बहुत हो जाये तो देख लेना, कुलदीप बाबू ने कहा कि मै देख लूंगा। फिर मैने कहा कि आप बालोगे तो मैं खुद ही दे आउंगा साडे अठारह हजार देने है ना उससे पहले ही दे आउंगा वहां ऑफिस में किसी को पता नही नही लगे। आपके हिसाब से करवा लेना तो फिर कुलदीप बाबू ने कहा ठीक है बना। मैने कहा कि ओक बना वह कागज ले लेना आप ही उसके पास से इसके बाद हम दोनो वहां से रवाना होकर तहसील कार्यालय बरनाला आ गये। इसके बाद मैं अपने निजी वाहन से मनोज जी के पास आ गया। जहां पर मैने वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित चालू हालत में मनोज जी को दे दिया जिसे मनोज जी ने बन्द कर अपने पास रख लिया, फिर मैने मनोज जी को कुलदीप बाबू से हुई रिश्वत मांग संबंधी बातें बता दी जिसके बारे में मनोज जी ने आपको फोन से अवगत करा दिया था तथा मैने भी आपसे वार्ता कर सभी बातें बता दी थी फिर मैने मनोज जी से उनके द्वारा मुझे साथ लेकर सवाई माधोपुर आपके पास लेकर आने की कहने पर उनको कहा था कि मुझे घर पर आवष्यक कार्य है तथा आरोपी कुलदीप बाबू को दी जाने वाली रिश्वत राशि 18,500/- रूपये की राषि का इन्तजाम भी करना है, तथा राशि का इन्तजाम कर मै आपके कार्यालय में कल दिनांक 21.11.2025 को सुवह हाजिर हो जाउंगा, जिसके संबंध में आपसे वार्ता हो गयी थी। उसके बाद मनोज जी ने मुझे

ां रवाना कर दिया था और मनोज जी वॉईस रिकार्डर को लेकर अपनी मोटरसाईकिल से सवाई माधोपुर के लिये रवाना गये थे, आरोपीगण को दी जाने वाली 18,500/- रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आज आया हूं,। न्तु आज मेरे पिताजी की तबीयत खराब है तथा मेरी पत्नि गरिमा सिंह जादौन जो पुलिस विभाग में है, उसकी ड्यूटी कहीं हर लग गयी है, इस कारण वो जा नही पायेंगे अगर मैं उनको साथ नही ले जाउंगा तो हो सकता है उनको शक हो जाये। निवार व रविवार को तहसील कार्यालय में अवकाश रहता है इसलिये तहसीलदार व कुलदीप बाबू अपने कार्यालय में नही लेंगे, इसलिये सोमवार दिनांक 24.11.2025 को मैं उनको रिश्वत राशि दे दूंगा। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। के पश्चात स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये दिनांक 24.11.2025 को प्रातः 10.00 ए.एम पर ब्यूरो ने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री सन्दीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह ग्राम वाढ नवास जिला सवाई माधोपुर को दिनांक 24.11.2025 को आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि 18,500/- रूपये ने व कार्यवाही की गोपनियता बनाये रखने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। इसके पश्चात 24.11.2025 समय 09.30 ए.एम पर परिवादी श्री सन्दीप सिंह उपस्थित कार्यालय आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ाया कि मैं आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि 18,500/- रूपये की व्यवस्था करके साथ लाया हूँ और मेरे ताजी व मेरी पत्नि गरिमा सिंह मुझे तहसील कार्यालय बरनाला में मिल जायेंगे। इस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया ा। इसके बाद पूर्व से पावन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक नगर परिषद सवाई माधोपुर श्री रतनलाल मीना नगर परिषद सवाई माधोपुर फायरमेन नगर परिषद सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आये। जिनसे न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की स्वीकृति चाही तो दोनो ने पनी अपनी स्वयं की स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति दी, तत्पष्चात दोनो गवाहों कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री संदीप सिंह से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट नांक 19.11.2025 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर पने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। इसके पश्चात इसके पश्चात समय 10.30 ए.एम पर दोनो तंत्र गवाहान श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक नगर परिषद सवाई माधोपुर व श्री रतनलाल मीना नगर परिषद वाई माधोपुर फायरमेन नगर परिषद सवाई माधोपुर के सामने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सन्दीप ह को संदिग्ध आरोपी कुलदीप बाबू को रिष्वत में दी जाने वाली राशि 18,500/-रूपये पेश करने की कहने पर परिवादी संदिग्ध आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के 37 नोट कुल 18,500/-रूपये (भारतीय चलन द्रा) के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेष किये। जिनका विवरण फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी ट में अंकित करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान मे बोल लकर करवाया गया। तत्पष्चात श्री रामकेश कानि. 98 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा कलवाकर मंगाया जाकर रामकेश कानि. से एक साफ अखबार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कक्ष में रखी साफ टेबिल के र बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 18,500/-रूपये के नोटो पर अच्छी तरह फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सन्दीप सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रतन लाल से वाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया, इसके बाद श्री रामकेश कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 पये के 37 नोट कुल 18,500/-रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी को दिये जाने के लिये परिवादी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट सामने की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन ऊडर युक्त नोटों को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा आरोपी क रिष्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी कुलदीप बाबू द्वारा रिष्वत प्राप्त करने र कोई बहाना बनाकर बाहर आकर मौका स्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से न अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के या मनोज कुमार कानि. 133 के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईशारा करे, साथ ही दोनों ाहो को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिष्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को नने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री सादिक मोहम्मद से कार्यालय में से एक नये फ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और कार्यवाहक मालखाना भारी श्री मनोज कुमार कानि0 133 से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर समें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह सादिक मोहम्मद से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिसे हाजरीन को दिखाया गया तो भी ने घोल का रंग साफ सफेद होना बताया। इसके बाद प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो र फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा लाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर

ं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री रामकेश कानि. से वापस कार्यालय की आलमारी में ा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री सादिक मोहम्मद के मार्फत उसके हाथ साबुन व फ पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री रामकेश कानि. से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के वन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को नवाकर नष्ट करवाया गया तथा रामकेश कानि. के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ नी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा तथा ट्रेप बौक्स में खाली नई कपडे की थैलिया, सील चपडी, मबत्ती, सुई धागा, नमूना सील एवं नये खाली पैन्ड्राईव कवरों/डीवीडी सहित रखवाये गये। इसके बाद दोनो स्वतंत्र वाहान, परिवादी तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ ये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस एक दूसरे से जामा तलाषी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई पत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी कुलदीप बाबू से होने वाली र्ता को रिकॉर्ड करने के लिये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास पूर्व से रखे डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले हित को निकालकर कर चैक किया गया तो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में डले एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 20.11.2025 को रिवादी व संदिग्ध आरोपी कुलदीप बाबू के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता रिकॉर्ड है, को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर वश्यक हिदायत दी जाकर परिवादी को सुपुर्द किया गया एवं श्री मनोज कुमार कानि. 133 को मौका स्थिति अनुसार उक्त ईस रिकार्डर परिवादी के आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात कार्यालय स्टाफ को ने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री सन्दीप सिंह को स्वंय की स्कूटी र.जे. 25 एसटी 8764 से बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर उसके पीछे-पीछे श्री मनोज कुमार कानि. 133 व मनोज ार कानि. चालक 647 को मनोज कुमार कानि. 133 की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय नो स्वतंत्र गवाह श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक व श्री रतनलाल फायरमैर एवं श्री भोलाराम कानि. 281 एवं श्री ीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक मय सरकारी बीडीयों कैमरा/सरकारी मोबाईल सहित मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर दि सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन के लेकर एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार स्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु तहसील बरनाला के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री मकेश कानि. 98 बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 01.35 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय वाहान व स्टाफ मय परिवादी सन्दीप सिंह के जरिये प्राईवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा तहसील कार्यालय नाला से कुछ दूरी पूर्व पहुंचे, जहां पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्ड में डले एसडी कार्ड को मनोज ार कानि. 133 से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के अनुसरण में रिश्वत शि देने हेतु आरोपी कुलदीप बाबू के पास तहसील कार्यालय बरनाला रवाना किया गया तथा उसके पीछे-पीछे मनोज ार कानि. 133 व मनोज कुमार कानि. चालक 647 को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान स्टाफ मय प्राईवेट वाहन के उनके पीछे- पीछे रवाना हुआ। परिवादी तहसील कार्यालय बरनाला के अन्दर चला गया ा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्राईवेट वाहन को रोड के एक साईड में खडा कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय वाहान स्टाफ सहित उक्त तहसील कार्यालय बरनाला के आस-पास परिवादी के नियत ईषारे के इन्तजार में मुकीम हो गये। के पश्चात समय 01.50 पी.एम पर परिवादी सन्दीप सिंह व एक अन्य व्यक्ति जो काली जैकिट पहने हुये था, जो तहसील र्यालय बरनाला से परिवादी की स्कूटी से रवाना हुये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराही जाप्ते में से श्री नोज कुमार कानि. 133 व मनोज कुमार कानि. चालक 647 को निजी मोटरसाईकिल से परिवादी की स्कूटी के पीछे-पीछे ाना किया। इसके बाद समय करीबन 2.20 पी.एम पर परिवादी सन्दीप सिंह व एक अन्य व्यक्ति जो परिवादी के साथ ाना हुआ था, परिवादी की स्कूटी से वापिस तहसील कार्यालय बरनाला आये व उनके पीछे-पीछे मनोज कानि. 133 व ोज कानि. चालक 647 भी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास उपस्थित आये। इसके कुछ समय बाद ही परिवादी दीप सिंह तहसील कार्यालय के गेट के सामने से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ारा किया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही रिवादी के पास उक्त तहसील कार्यालय बरनाला के गेट के पास पहुँचा, परिवादी से वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्चात् परिवादी ने एक व्यक्ति जो काले रंग की जैकिट पहनी हुई थी जो तहसील कार्यालय बरनाला के पास खडा हुआ था तरफ ईशारा कर बताया कि यही कुलदीप बाबू है, जिसने अभी थोडी देर पहले मैं व कुलदीप बाबू तहसील कार्यालय नाला से रवाना होकर सीताराम गुप्ता की ई-मित्र की दुकान पर गये थे। जहां पर कुलदीप बाबू ने तहसीलदार लक्ष्मण ाद गुप्ता से फोन पर बात करके मेरे से रिश्वत राशि 18,500/- रूपये अपने बांये हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की ी जेब में बिना गिने ही रख लिये। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान के

रिवादी के बताये हुये व्यक्ति कुलदीप बाबू के पास पहुंचा तथा परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति को अपना व राहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कुलदीप सिंह ,कनिष्ठ सहायक तहसील र्यालय बरनाला होना बताया और परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि यह राशि मैने सीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के कहने पर ली है आप चाहो तो मै उनकी आपसे करवा देता हॅू। इस पर मन अतिरिक्त लिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वाईस रिकॉडर जो चालू हालत में था, इसके तुरन्त बाद ही आरोपी कुलदीप ह कनिष्ठ सहायक के मोंबाईल पर टीडीआर साहब लक्ष्मण गुप्ताजी बरनाला के नाम से कॉल आ रहा था, जिस पर आरोपी लदीप सिंह कनिष्ठ सहायक से फोन रिसिव करवाकर स्पीकर आन करवाकर वार्ता करवायी गयी उक्त वार्ता को डिजिटल ईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी कुलदीप सिंह कहता है कि हां साहब फिर तहसीलदार कहता है कर दिया, क्या रहा तो कुलदीप सिंह कहता है कि अभी तो नही किया गया, पेमेन्ट कर दिया पार्टी ने डाक्यूमेन्टस दे दिये, पर तहसीलदार कहता है कि वो आ गया सिस्टम आ गया, मै पांच मिनट में पहुंच रहा हॅू। कुलदीप सिंह कहता है ठीक साहब। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता तहसीलदार तहसील बरनाला इन्तजार में मुकीम हो गये। इसके करीबन 10 मिनट पश्चात आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल नम्बर [redacted] से तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल करवाया तो तहसीलदार मोबाईल बन्द होना पाया गया। इससे प्रमाणित है कि तहसीलदार को ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से तहसीलदार क्ष्मण प्रसाद गुप्ता द्वारा अपना मोबाईल बन्द कर लिया गया है। इसके पश्चात आरोपी कुलदीप सिंह का मोबाईल स्वंय के ब्जे में लिया गया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही की सरकारी मोबाईल से श्री प्रदीप गुर्जर निष्ठ सहायक को विडियोग्राफी करने की हिदायत देते हुये कुलदीप सिंह से नाम पता व कार्य के बारे पूछा तो बताया कि मैं ां पीएम किशान योजना विधानसभा से संबंधित कार्य करना बताया और कहा कि मैं सन्दीप सिंह को जानता हॅू, अभी छ दिन पहले मेरे पास यह दान-पत्र रजिस्टर्ड करवाने आया था। इसने कहा कि हमारा काम नही हो रहा है आप सीलदार से कहकर मेरा काम करवा दो, इस पर मैं तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब ने कहा मुझे साडे ठारह हजार रूपये चाहिये। मैने सन्दीप सिंह से पंजीयन शुल्क के बारे मे पूछा तो इन्होने कहा कि नो हजार है पंजीयन ल्क इस पर मैने कहा कि मैने नो हजार रूपये साहब के तथा दस हजार रूपये चालान कुल 19,000/- रूपये बताये और ताया इसका पूर्व में चालान कट चुका है। इस पर पास में खडे परिवादी ने बताया कि कुल राशि 28,500/- रूपये मांगे है, समें चालान राशि नो हजार कुल करीबन दस हजार रूपये का है, जो मैं पूर्व कटवा चुका हू। आज मैं इनसे मिला तो इन्होने हा कि थोडी देर इन्तजार करो, इसके बाद ये बाहर आये और मुझसे कहा कि ई-मित्र की दुकान से जाकर रजिस्ट्री के कागज आते है। इस पर मैं व कुलदीप बाबू मेरी स्कूटी से ई-मित्र की दुकान पर गये वहां पर कुलदीप बाबू की तहसीलदार से फोन बात हुयी, तहसीलदार साहब से कुलदीप बाबू ने कहा कि पार्टी आ गयी है, इसके बाद कुलदीप बाबू ने मेरे से कहा की मेन्ट दे दो, इस पर मैने मेरी जेब से निकालकर कुलदीप बाबू को ई-मित्र की दुकान के अन्दर रिश्वत राशि साडे अठारह ार रूपये दे दिये, जिसको इन्होने बिना गिने ही अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये। इसके बाद कुलदीप बाबू री रजिस्ट्री के कागज ई-मित्र कह दुकान से लेकर मेरे साथ मेरी स्कूटी से हम दोनो तहसील कार्यालय बरनाला में वापिस गये। इसके पश्चात मैने गेट पर आकर आपको रिश्वत राशि का ईशारा कर दिया। इस पर आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ हायक से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.11.2025 को 18,500 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना एवं उक्त अनुषरण में आज दिनांक 24.11.2025 को प्राप्त की गई 18,500 रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो रिश्वत शि लेना स्वीकार किया तथा अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में रखी होना बताया और बताया कि तहसील कार्यालय आने पर मैने अपने हाथ भी धो लिये। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री रतनलाल , यरमैन से आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक की तलाशी लिवायी गई तो आरोपी कुलदीप सिंह के पहनी हुई पेन्ट की यी जैब में 500-500 रूपये के नोट मुडी हुई अवस्था में मिले जिनको उक्त गवाह रतन लाल से निकलवाकर उक्त राषि को नवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपये के 37 नोट कुल 18,500 रूपये मिले, उक्त बरामद शुदा 18,500/-रूपये के नोटो के बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से रवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त नम्बरी राशि 18,500/- रुपये को बतौर सुरक्षा तन्त्र गवाह श्री रतन लाल के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि गवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक से ट्रेप बौक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास कलवाकर कार्यालय परिसर से पानी मंगवाकर उक्त डिस्पोजल गिलासों में गवाह श्री सादिक मोहम्मद से पानी भरवाकर या उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के ल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार या। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी कुलदीप सिंह बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने खकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा

खवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये
कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के
ल मे आरोपी कुलदीप सिंह के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो
ा जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग मटमेला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीषियों मे
धा आधा भरवाकर शीषीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH-1 व RH-2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के
ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को
वाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात गवाह श्री रतन लाल के पास पूर्व में आरोपी कुलदीप सिंह के पहनी हुई पेन्ट की
यी जैब में मिली रिश्वत राशि 18,500/- रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया गया तो 500-500 रूपये के 37 नोट
र्थात कुल 18,500/- रूपये होना बताया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी एवं
ुर्दगी नोट से मिलान करवाया तो हुबहु वही नम्बरी नोट पाये गये, नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित कराया
कर बरामद शुदा नम्बरी 18,500 रुपये के नोटों को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण लिफाफे के उपर वर्णित
र उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी
या गया। तत्पश्चात आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक की पेन्ट जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई थी, को ससम्मान
रवाया जाकर कार्यालय स्टाफ से लोअर मंगवाकर लोअर को पहनवाया गया तथा उतारी हुई पेंट की बांयी साईड की
ल वाली जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह से लिवाई गई तो पेन्ट की पीछे की जेब में एक काले रंग का पर्स
ला जिसको गवाह रतनलाल से चेक करवाया गया तो उक्त पर्स के अन्दर कुल 616 रुपये तथा आधार कार्ड, पेन कार्ड,
आधार कार्ड, दो एटीम कार्ड व एक मोटरसाईकिल की आरसी व ड्राईविंग लाईसेन्स मिले तथा और कोई अन्य आपत्ति
क रुपया पैसा आदि नहीं मिला। पेन्ट की जेब में मिले पर्स के अन्दर नकद राशि 616 रुपये आदि सामान को आरोपी के
े अनुसार श्री सुरेश वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द किया गया तथा आधार कार्ड की फोटो प्रति करवाकर पत्रावली पर रखी गई।
श्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ
वाया जाकर उसमें पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री सादिक मोहम्मद से उसके दोनो हाथ सावुन व पानी मे साफ कराने के
द थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे
बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास
सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी कुलदीप सिंह के उतरवाये हुये पेंट की बांयी साईड की बगल वाली जेब को
टवाकर उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्ब्न्धितों ने देखकर
वन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयां में आधा आधा डलवाकर
शीयों को सील चिट मोहर कर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर चिट पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर
जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया।
श्चात उक्त पेंट की धुलाई हुई बांयी साईड की बगल वाली जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के
ाक्षर करवाये जाकर पेंट को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क P अंकित कर थैली के उपर
ाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन अतिरिक्त
लिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी
मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी
क्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी कुलदीप सिंह से परिवादी श्री सन्दीप सिंह के रजिस्ट्री
म्बन्धित पत्रावली के बारे मे पूछा तो उसने उक्त रजिस्ट्री संबंधित पत्रावली अपने कार्य करने की टेबिल पर होना बताया
ा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा
ावली का अवलोकन किया गया तो उक्त पत्रावली में राजस्थान सरकार पंजीयन एवं मुदांक विभाग पंजीयन हेतु चैक
ट व दानकर्ता व दानग्रहिता एवं दो गवाह के आधार कार्ड लगे है एवं जमाबन्दी ई-चालान एवं दान पत्र लगे हुये है। उक्त
ावली पर परिवादी व दोनो गवाहन व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये एवं तहसील कार्यालय बरनाला के वरिष्ठ सहायक
सुरेश सिंह से उक्त पत्रावली की पेंजिंग करवाकर जो क्रमशः 01 लगायत 26 है, कि फोटो प्रति करवायी जाकर प्रमाणित
ाने हेतु कहा गया तो तहसील कार्यालय में कोई अधिकारी नही होना बताया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत
पर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. ली गई एवं परिवादी का कार्य वाधित नही होने के कारण मूल पत्रावली जप्त
की जाकर मूल पत्रावली श्री सुरेश सिंह वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बरनाला जिला सवाई माधोपुर को सुपुर्द कर
ायत दी गई कि जब भी न्यायालय अथवा ए.सी.बी. तलब करे तो पेश करें। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
ा परिवादी श्री सन्दीप सिंह से दिनांक 20.11.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ई-चालान हेतु किये
न-पे बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने मोबाईल से सीताराम ई-मित्र की दुकान पर किये गये फोन-पे की हिस्ट्री दिखायी,
ा पर उक्त फोन-पे हिस्ट्री का प्रिन्ट आउट निकलवाकर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली
ा गया। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी श्री कुलदीप सिंह से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिष या दुष्मनी या

ई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। आरोपी कुलदीप हि कनिष्ठ सहायक ने बताया कि मैं वर्ष 2020 से तहसील कार्यालय बरनाला में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हूँ। तहसील कार्यालय में पीएम किसान, जन्म मृत्यु, विधान सभा का कार्य देखता हूँ तथा मैं पंजीयन बाबू श्री पंखीलाल ना कनिष्ठ सहायक की गैर मौजूदगी में उनका कार्य भी देखता हूँ। मैं तहसील कार्यालय बरनाला में पंखीलाल मीना का क कार्मिक भी हूँ। आज से करीबन 5-7 दिन पहले श्री सन्दीप सिंह जो मेरा रिस्तेदार है, जो मेरे पास आया और कहा कि रा रजिस्ट्री संबंधित कार्य है, जो करवा दो। मैंने उससे पूछा कि चालान कितने का है तो उसने कहा कि करीबन दस हजार है। इसके बाद मैं मेरा रिश्तेदार होने के कारण तहसीलदार श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता से मिला तो उन्होने कहा कि डीएलसी 1 प्रतिशतः कितना बनता है तो मैने कहा कि सबा नो हजार बनता है तो तहसीलदार ने कहा कि कर देंगे लेकिन मेरे 2 तिशत कमीशन की कहकर कुल 18,500/- रूपये बता देना। इस पर मैं तहसीलदार के पास से आकर सन्दीप सिंह से मिला र कहा कि तहसीलदार साहब 18,500/- रूपये की मांग कर रहे है। इसमें से दस हजार रूपये का करीबन चालान और 2 तिशत के हिसाब से 18,500/- रूपये की मांग कर रहे है। इसके बाद सन्दीप सिंह मेरे पास तहसील कार्यालय बरनाला में नः दिनांक 20.11.2025 को आया इस पर मैं सन्दीप सिंह के कार्य बाबत तहसीलदार साहब से मिला तो उन्हाने कहा कि लान कटवा दो और अपना 2 प्रतिशत का ध्यान रखना इसके बाद मैं और सन्दीप सिंह सीताराम गुप्ता की ई-मित्र की कान पर गये, जहां पर सन्दीप सिंह के पास केश राशि नही होने से उसने चालान कटवाने के लिये ई-मित्र की दुकान पर दस जार रूपये फोन पे कर दिये थे। ई-मित्र संचालक श्री सीताराम गुप्ता डीड राईडर का कार्य भी करते है, सन्दीप सिंह ने अपने जिस्ट्री के कागजात सीताराम डीड राईडर से ही तैयार करवाये थे। मैने सन्दीप सिंह से मेरे लिये कोई भी रिश्वत राशि की ग नही की। इसके बाद आज दिनांक 24.11.2025 को सन्दीप सिंह मेरे पास तहसील कार्यालय बरनाला में उपस्थित या, जिससे मैने उससे उसके पिता व पत्नि के आने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आ गये है। इसके बाद मैं और सन्दीप हि सीताराम गुप्ता की ई-मित्र की कस्बा बरनाला में गये, मैने ई-मित्र वाले बिजेन्द्र से पूछा कि सन्दीप सिंह के रजिस्ट्री के गज तैयार हो गये क्या तो उसने कहा कि थोडा सा काम बाकी है अभी कर रहा हूँ। इसके बाद मैने ई-मित्र पर से ही हसीदार साहब के पास मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से तहसीलदार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल या जो मेरे मोबाईल की फोन हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में मन अतिरिक्त पुलिस धीक्षक के पास कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक को मोबाईल सुपुर्द कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता मे लदीप सिंह ने तहसीलदार साहब से कहा कि साहब वो दानपत्र वाले आये है तो उन्होने कहा कि पीडीएफ भेजो मुझे, लदीप सिंह कनिष्ठ सहायक ने कहा कि वो आठ बीघा वाला नाननवास वाला तो तहसीलदार साहब ने कहा कि कितने बन है, उसमें तो कुलदीप सिह ने कहा कि उसमें नो-साडे नो बन रहे है तो तहसीलदार साहब ने कहा कि डीएलसी का 1 तिशत लेना है और पीडीएफ भेजना मुझे कुलदीप सिंह ने कहा कि भेज रहा हूँ पीडीएफ । इसके बाद मैने तहसीलदार क्ष्मण प्रसाद गुप्ता को उनके व्हाटसेप पर सन्दीप सिंह के कार्य से संबंधित दान पत्र की प्रति को मेरे मोबाईल से स्केन कर डीएफ बनाकर भेज दी। इस पर आरोपी कुलदीप सिंह के मोबाईल को चैक किया गया तो आरोपी ने अपने मोबाईल में व नम्बर जो व्हाटसेप पर है को दिखाया तो [redacted] मोबाईल नम्बर अंग्रेजी में TDR Sahab Laxman upta ji के नाम से सेव है तथा उक्त नम्बर पर डीपी पर एक सफेद कलर का वाहन जिसके नम्बर अंग्रेजी में J25UA5546 व नम्बर के लाल पटटी में तहसीलदार एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट बरनाला की डीपी लगी हुई है तथा उक्त म्बर आरोपी ने तहसीलदार लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता के होना बताया। इस पर तहसीलदार के मोबाईल पर आरोपी कुलदीप हि द्वारा भेजी गयी पीडीएफ का प्रिन्ट निकलवाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं उक्त रिकॉर्ड वार्ता में कुलदीप सिंह ने ताया कि इस वार्ता में एक आवाज मेरी व एक अन्य आवाज है वो श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता तहसीलदार तहसील बरनाला की उक्त रिकॉर्ड वार्ता की पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जावेगी। आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल को य के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। इस प्रकार परिवादी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व फर्द रामदगी व हाथ धुलाई व आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल में रिकॉर्ड वार्ता से प्रमाणित है कि आरोपी लदीप सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी सन्दीप सिंह से तहसीलदार एवं स्वंय के लिये रिश्वत राशि लेना पाया गया है। क्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा से जरिये प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से कराई ई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव तैयार करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जावेगी। इस समस्त कार्यवाही में धोवन की शीशीयों, पेंट के पैकेट व बरामद शुदा रिश्वती राशि आदि को सील्ड मोहर करने के उपयोग में ली गई पीतल की बिना ब्बरी नमूना सील का नमूना फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के मने व परिवादी की निषादेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोषनी में तैयार कर बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। इसके बाद समय 06.00 पीएम पर श्री भगवान सहाय ना नायब तहसीलदार तहसील बरनाला तहसील कार्यालय में उपस्थित आने पर श्री सुरेश सिंह को पूर्व में सुपुर्दशुदा मूल त्रावली मंगवायी जाकर नायब तहसीलदार श्री भगवान सहाय मीना को दिखाई जाकर पूर्व में मूल पत्रावली की फोटो प्रति दौराने कार्यवाही कब्जा एसीबी ली गयी थी, को प्रमाणित करवाया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया

था.मूल पत्रावली श्री सुरेश सिंह वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रामसिंह ति राजपूत, उम्र 29 वर्ष निवासी खिदरपुर, तहसील सपोटरा जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक तहसील बरनाला जिला वाई माधोपुर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61(2) एनएस 2023 के प्रावधानों के अनुसार हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये ये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा से मौके पर उपस्थित पिता रामसिंह को दी गई। इसके बाद समय रीबन 06.45 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के य गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक व जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्सों/सामान को साथ लेकर मय ट्रेप क्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी मोबाईल/वीडियो कैमरा आदि के जरिये प्राईवेट वाहनों के घटना स्थल से रवाना होकर सीबी कार्यालय सवाई माधोपुर पहुंचा, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिष्वत राषि, धोवन की सील्ड शीयां, पैकिट को जमा मालखाना जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 से करवाया गया था गिरफतार शुदा आरोपी श्री कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया। इसके बाद रामकेश कानि. 98 व मनोज कुमार कानि. चालक 647 के मार्फत आरोपी का सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर से स्थ्य परीक्षण करवाया गया। समय 09.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सादिक मोहम्मद कनिष्ठ सहायक नगर रिषद सवाई माधोपुर व श्री रतनलाल मीना नगर परिषद सवाई माधोपुर फायरमेन नगर परिषद सवाई माधोपुर एवं रिवादी श्री सन्दीप सिंह के सामने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.11.2025 के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय जीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी सन्दीप सिंह एवं आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के य दिनांक 20.11.2025 को रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी उपस्थिति में कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में डले एसडी र्ड सहित को कार्यालय कम्प्यूटर में लगाकर चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर-01-1120-1441 में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को ाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 मनोज कुमार 133 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से एक नया खाली पैनड्राईव I BALL ENDENT 16 जीबी मार्क-ए न्यायालय प्रति एवं दो डी.बी.डी. मुलजिम प्रति मार्क-ए-1, ए-2 एवं एक डी.बी.डी. आई. प्रति मार्क-ए-3 में डब करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईव व डब डी. डीयों की कार्यालय कम्पयूटर की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट र बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा मूल न्यायालय प्रति डब पैनड्राईव को कवर में सुरक्षित रख कर एक कपडे थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एवं डब डी.बी.डीयों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर ग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डी.बी.डी मार्क ए-3 के ावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए एवं मुलजिम प्रति डी.बी.डी. मार्क ए-1, ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा ई.ओ. प्रति डी.बी.डी. मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके बाद दिनांक 25.11.2025 को य 01.15 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही दिनांक 24.11.2025 को परिवादी सन्दीप सिंह एवं आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ ायक के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूवरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में र्यालय कम्प्यूटर में लगाकर चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर-02-251124-1339 में ार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड ्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री मनोज कुमार कानि. 3 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त रिकार्ड रिश्वत -देन वार्ता की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से एक नया खाली पैनड्राईव I BALL PENDENT 16 जीबी मार्क-बी यालय प्रति एवं दो डी.बी.डी. मुलजिम प्रति मार्क-बी-1, बी-2 एवं एक डी.बी.डी. आई.ओ. प्रति मार्क-बी-3 में डब वाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त डब पैनड्राईव व डब डी.बी.डीयों की कार्यालय पयूटर की मदद से DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल वली की गई तथा तथा मूल न्यायालय प्रति डब पैनड्राईव को कवर में सुरक्षित रख कर एक कपड़े की थैली में रखा जाकर ी के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एवं डब डी.बी.डीयों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर अलग अलग कपड़े की लियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डी.बी.डी मार्क बी-3 के अलावा न्यायालय प्रति ड्राईव मार्क-बी एवं मुलजिम प्रति डी.बी.डी. मार्क बी-1, बी-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड की कार्यालय पयूटर की मदद से DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल वली की गई तथा मूल एसडी कार्ड को कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-एसडी

कित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति डी.बी.डी. मार्क बी-3 को पत्रावली र अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। इसके पश्चात समय 05.15 ए.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी एवं आरोपी कुलदीप ह कनिष्ठ सहायक के सामने आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक से दौराने ट्रेप कार्यवाही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रा स्वंय के कब्जे में रखे मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के मोबाईल की मैन स्क्रीन पर हरे रंग कॉल साईन खोलकर देखा गया तो डायल शीट में टीडीआर साहब लक्ष्मण गुप्ता के नाम से अंग्रेजी में सेव नम्बरो का अवलोकन किया या तो दिनांक 2025/11/24 01.58 PM पर रिकार्डेड 38 सेकण्ड व 05 सैकण्ड वार्ता रिकॉर्ड है को उक्त मोबाईल को र्यालय कम्पयूटर से कनेक्ट कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी कुलदीप सिंह ने एक वाज स्वंय की तथा एक आवाज लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता तहसीलदार तहसील बरनाला की होना बताया। रिकार्ड वार्तालाप की रोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि0 श्री मनोज मार कानि. 133 से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री मनोज कुमार कानि. 133 से उक्त कार्ड वार्ता की कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से एक नया खाली पैनड्राईव I BALL PENDENT 16 जीबी मार्क-एम-1 यालय प्रति एवं दो डी.बी.डी. मुलजिम प्रति मार्क-एम-2, एम-3 एवं एक डी.बी.डी. आई.ओ. प्रति मार्क-एम-4 में डब रवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर मूल न्यायालय प्रति डब पैनड्राईव को कवर में सुरक्षित ख कर एक कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एवं डब डी.बी.डीयों पर संबंधित के स्ताक्षर करवाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति डी.बी. मार्क एम-4 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-एम-1 एवं मुलजिम प्रति डी.बी.डी. मार्क एम-2, एम-3 को शील्ड हर किया गया। आई.ओ. प्रति डी.बी.डी. मार्क एम-4 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मोबाईल का लोकन किया गया तो मोबाईल अपअव कम्पनी बरंग स्काई ब्लू मय कवर के जिसमें दो सिम डली हुई है जिनमें सिम 1 बर [redacted] जियो कम्पनी व सिम 2 नम्बर [redacted] एयरटेल कम्पनी की है। जिसमें व्हाटसेप [redacted] जियो कम्पनी की सिम पर संचालित है। उक्त मोबाईल को कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की ली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर कर उक्त मोबाईल मार्का एम दिया गया। इसके पश्चात 6.15 ए.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के सामने दौराने ट्रेप कार्यवाही जरिये प्रदीप कुमार क.स. सरकारी मोबाईल करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को एक नये खाली पैनड्राईव व तीन डी.बी.डीयों में जरिये प्रदीप कुमार क.स. डब करवाई जाकर डब पैनड्राईव को कवर में सुरक्षित रखकर कपडे की थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एवं तीन डी.बी.डीयो पर संबंधित के हस्ताक्षर कर डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर संबंधित के हस्ताक्षर रवाकर सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर मार्क-सी न्यायालय प्रति व सी-1, सी-2 मुल्जिम प्रति को शील्ड मोहर कर बाद स्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीबीडी मार्क-सी-3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर म्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के स्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में जप्त/सील्ड माल वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता व आरोपी के मोबाईल में रिकॉर्ड वार्ता, बीडीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव/डीबीडीया मार्क-ए, ए-1, ए-2, बी, बी-1, बी-2, व मूल एसडी कार्ड मार्क एसडी, मोबाईल रिकॉर्डिंग वार्ता के मार्क एम-1,एम-2, एम-3, मोबाईल मार्का एम एवं डीयोग्राफी के सील्ड पैनड्राईव मार्क सी, सी-1 व सी-2 को कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री मनोज कुमार कानि. 133 को क्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके पश्चात ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के म में ली गई पीतल की बिना नम्बरी सील जिस पर ACD SWM लिखा हुआ है, को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की जूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये नष्ट किया जाकर फर्द नष्ट नमूना मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। द कार्यवाही परिवादी व गवाहान को रूखसत किया गया। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री नदीप सिंह कनिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय बरनाला जिला सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने ध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी श्री सन्दीप सिंह पुत्र गोविन्द सिंह म वाढ नाननवास जिला सवाई माधोपुर से परिवादी के पिता द्वारा परिवादी की धर्मपत्नि को जरिये दानपत्र कृषि भूमि रजिस्टर्ड करवाने की एवज में स्वंय व श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता तहसीलदार तहसील बरनाला के लिये वक्त रिश्वत मांग यापन दिनांक 20.11.2025 को 18,500/- रूपये लेने पर सहमत होना तथा उक्त के अनुसंरण में दिनांक 24.11.2025 परिवादी को अपने साथ कस्बा बरनाला में स्थित सीताराम गुप्ता की ई-मित्र की दुकान पर ले जाकर तहसीलदार से रिये मोबाईल बात कर मांग कर 18,500/- रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा तहसील कार्यालय बरनाला में आरोपी नदीप सिंह कनिष्ठ सहायक की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से बरामद होना एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली के कब्जे से बरामद होना एवं आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक के मोबाईल पर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक .11.2025 को लेन-देन की वार्ता रिकॉर्ड होना तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता तहसीलदार द्वारा आरोपी नदीप सिंह के मोबाईल पर कॉल कर आरोपी कुलदीप सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा पार्टी से पेमेन्ट प्राप्त होना तथा तहसीदार रा सिस्टम आ गया के बारे में बात करना तथा पांच मिनट में कार्यालय में उपस्थित आना तथा कार्यवाही की भनक लग

ने से मोबाईल स्विच ऑफ करके फरार हो जाना। उक्त वार्ता रिश्वत राशि के बारे में कोड वर्ड में वार्ता करना। इस प्रकार
रोपी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रामसिह जाति राजपूत, उम्र 29 वर्ष निवासी खिदरपुर, तहसील सपोटरा जिला करौली
ल कनिष्ठ सहायक तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर व श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता तहसीलदार तहसील बरनाला जिला
वाई माधोपुर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं
(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन
र्यालय प्रेषित है। (ज्ञान सिंह चौधरी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर।.............
र्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानसिंह
धरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाईमाधोपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत
रा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीयान 1-
लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता, जाति गुप्ता उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट ताल चिडी, तहसील महुआ,
ला दौसा हाल तहसीलदार, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर 2-श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति
जपूत, उम्र 29 वर्ष निवासी खिदरपुर, तहसील सपोटरा, जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक, तहसील बरनाला, जिला
वाई माधोपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान
धिकारी श्री रविन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनित किया गया है। उक्त की
जनामचाआम 524 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान,
पुर। क्रमांक 1790-94 दिनांक 27.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ
यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- निबन्धक, राजस्व मंडल अजमेर 3-जिला
लक्टर सवाईमाधोपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
ष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):	Ravindra Singh Shekhawat	**Rank (पद):**	उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the mplainant/informant free of cost.

शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]1/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

chment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

sical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

o.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				
2	Male	1996				

eformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

uage /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20

e fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
ष तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)